

विषय :

एफ-19- 41/2016/स्था/19

विषय:- याचिका क्रमांक-19832/2015 द्वारा श्री अब्दुल समद
कुरैशी विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य।

-0-

पंजी क्रमांक-495/2016 दिनांक 22.1.2016
शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त पत्र।

-0-

मान. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका क्रमांक-
19832/2015 द्वारा श्री अब्दुल समद कुरैशी विरुद्ध मध्य प्रदेश
शासन एवं अन्य पीटीशन प्राप्त हुई है। जिसका संबंध कार्यपालन
यंत्री, लोक निर्माण संभाग, बालाघाट से संबंधित है।

अतः प्रकरण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग क्रमांक-2,
बालाघाट को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा।
आदेशार्थ।

अनुभाग अधिकारी,

अ.स.

कृपया "अ" अनुमोदनार्थ।

09/02/16

सचिव

अ.स.

09/02/16

9/2/16

09/02/16

09/02/16

प्राप्त मध्य प्रदेश सरकार के अनुमोदनार्थ

हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

अनुमोदित

अ.स.

12/02/16

16/02/16

16/02/16

मध्य प्रदेश सरकार
लोक निर्माण संभाग
क्रमांक-758-59/19
दिनांक-16/02/2016

को विभाग

P/C

P/C

J.K.

05

D

८

छात्रीस-२ सचिवालय

विषय :

एफ-19-५१ / 2016 / स्था / 19

विषय:- याचिका क्रमांक-19832 / 2015 द्वारा श्री अब्दुल हमीद
कुरैशी विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य।

का विभाग

-0-

प्रसादी आदि की निवृत्ति
उपरोक्त शासन का पक्ष/अभियोग
केतु प्रकरण निचे विभाग को
अहित कला पाठ्ये।

अनुप्रास

अनुप्रास

(+पिप)

विधि विभाग

०५/०३/१६

०५/०३/१६

०५/०३/१६

चन्द प्रकाश अग्रवाल
सचिव, म.प्र. शासन
लोक निदान विभाग

५२
०५/०३/१६

५/१९३

का मोहरा
१०-३-१६

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 16/02/2016

क्रमांक-एफ-19-41/2016/स्था./19, राज्य शासन एतद्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग क्रमांक-2, बालाघाट को मान.उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्रमांक-19832/2015 द्वारा श्री अब्दुल समद कुरैशी विरुद्ध प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लो.नि.वि. एवं अन्य में रिट अपील दायर करने मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंज्ञात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुचाने की संभावना है रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
2. वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
3. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कामजात पत्र भेजेगा :-
 - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
 - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिनके साक्ष्य स्वरूप फाईल कराना प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
 - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कामज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
8. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजे।
9. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतिया प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नही हो।

- 46
10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते हैं वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
 11. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित/छुपा हुआ नहीं रह जाए।
 12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकदमे हैं तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
 13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकदमे हैं तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मुनील मंडावी)
अवर सचिव

पृ.क्र.-एफ-19-41/2016/स्था./19

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग
भोपाल, दिनांक 16/02/2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. डिप्टी रजिस्ट्रार, मान0उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ, जबलपुर।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण, निर्माण भवन, म.प्र., भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्य-परिक्षेत्र-जबलपुर।
5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग क्रमांक-2, बालाघाट प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाये।
6. कलेक्टर - बालाघाट (म0प्र0)।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग
14/2/2016

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 198674/2015

WP/19832/2015

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

for adm.

Fixed for 18-01-2016

WP-DA-14

Respondent No. 1

नमस्कार
लोक विचारों का विचार
जी. नं. 495
दिनांक 22/1/16

To,

The State Of Madhya Pradesh,
The Principal Secretary Public Works
Department Vallabh Bhawan Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Jabalpur 14-12-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto)
No. WP/ 19832/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Abdul Samad Qureshi has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/19832/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **18-01-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

[Handwritten signature]
05/12/15

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition



Your faithfully

[Handwritten signature]

DEPUTY REGISTRAR

O/C

2 ✓

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT
AT JABALPUR**

WRIT PETITION NO. 19832 OF 2015

PETITIONER: - ABDUL SAMAD QURESHI

VERSUS


RESPONDENTS:- State of M.P. and Ors.

INDEX

S.no.	Particulars of Documents	Annexure	Pg.No.
1.	Index		1
2.	Chronological Events of the Case		2
3.	Writ petition along with affidavit		3-8
4.	List of Documents		9
5.	Extract copy of Service book.	P-1	10-11
6.	A copy of the Representation dated 02.11.2015	P-2	12
7.	Copy of Notification dated 11.11.2002.	P-3	13
8.	A copy of the order dated 07-11-2005.	P-4	14-18
9.	Copy of Identical order passed by this Hon'ble Court.	P-5	19-22
10.	Vakalatnama.		23




JABALPUR
DATED: 5.11.2015


(SUDARSHAN CHAKRAVARTY)
ADVOCATE FOR PETITIONER
DECLARATION

That, it is declared that the petitioners have served the copy of petition together with Annexures in advance to the Advocate General's office as per Chapter X Rule 25 of M.P. High Court Rules, 2008 at 10.30am on11.2015.

JABALPUR
DATED: 5.11.2015


(SUDARSHAN CHAKRAVARTY)
ADVOCATE FOR PETITIONER